E Mail I.D.:- cfgarhwalp@gmail.com cfgarhwal555@gmail.com , Phone & Fax :- 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांकः– 3072 / 12-1 **, दिनांक, पौड़ी, जून,** 24, **2023.**

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होतु हुये बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण 0.595 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– **आपकी पत्र सं0 6344 / 12–1 दिनांक 09.06.2023**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है का अवलोकन करने पर निम्न कमियां पाई गई हैः–

1– प्रकरण में ऑनलाईन पार्ट ।। में वन भूमि का विधिक स्टेटस Village Forest, हार्ड प्रति में वृक्षों की गणना से सम्बन्धित प्रपत्रों में वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ द्वारा पत्रांक 112 / 12 दिनांक 08.08.2022 में वन पंचायत रतूड़ा, अंकित किया गया है जबकि प्रस्ताव के प्रपत्र भाग–2, Site Inspection Report, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में वन का प्रकार सिविल सोयम भूमि, अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रभावित वन भूमि का विधिक स्टेटस क्या है? तथा भ्रामक की स्थिति बनी हुई है। उक्त के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण करते हुये वन भूमि के विधिक स्टेटस के सम्बन्ध में सही जानकारी ऑनलाईन तथा ऑफलाईन अंकित की जाए।

2– प्रस्ताव में संलग्न वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ के पत्रांक 112 / 12 दिनांक 08.08.2022 में वन पंचायत रतूडा में वृक्षों की संख्या 16 अंकित की गई है जबकि संलग्न वृक्ष गणना सूची (वन पंचायत रतूडा) व ऑनलाईन पार्ट–।। में वृक्षों की सं0 20 अंकित की गई है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए वृक्षों की स्पष्ट गिनती अंकित की जाए।

3– प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों में प्रारूप संख्या अंकित की जाए तथा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मार्गदर्शिका 2014 के अनुसार प्रारूप 25 का प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाए।

4– ग्राम सभा चूलाकोट एवं स्वर्का का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किये जाए।

5– लाभान्वित होने वाले ग्रामों की अपूर्ण सूचना प्रेषित की गई है। लाभान्वित ग्रामों के परिवारों की संख्या व उनकी जनसंख्या अंकित की जाए।

6– प्रस्ताव में संलग्न वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन न होने के प्रमाण पत्र को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है तथा प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि ***"प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं हो रहा है"*** के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कमियों का निराकरण, प्रकरण की गहनता से जांच करते हुये सुस्पष्ट सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः– प्रकरण मूल में वापस।

भवदीय,

23/06/2023

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

//Jaideep//